Dr. Gautam Kumar
BA(H), PART-I
PAPER-II

Date
Page

स्वतंत्रता एवं अधिकार विषयक विचार (अरविन्द का)
(Aurbindo's Idea of Freedom and Rights)

अरविन्द के राजनीतिक दर्शन में स्वतंत्रता एवं अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अरविन्द का कहना था कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को तीन अधिकार अवश्य प्राप्त होना चाहिए। ये तीन अधिकार निम्न प्रकार हैं:-

(i) स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति का अधिकार
(ii) स्वतंत्र सार्वजनिक सभा करने का अधिकार
(iii) संगठन निर्माण करने का अधिकार

उन्होंने बल देकर कहा कि ये सुविधाएँ पाश्चात्य देशों के नागरिकों को अपने विकास के लिए प्राप्त हैं, भारत के नागरिकों को भी ये सभी सुविधाएँ अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। ये सभी सुविधाएँ स्वतंत्रता के लिए परमावश्यक हैं, जिस राष्ट्र के नागरिक को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते, वे नागरिक और वह राष्ट्र अपने विकास की कल्पना को साकार नहीं कर सकता। इस संबंध में अरविन्द के लिए मैजिनी के अदिम प्रेरणा थे। अरविन्द के अनुसार, स्वतंत्रता जीवन को सही दिशा देने के लिए आवश्यक वरदान है। स्वतंत्रता बन्धनों से मुक्ति का प्रतीक ही नहीं, वरन् उच्चतर आदर्शों की प्राप्ति के लिए अवसर भी प्रदान करती है।

व्यक्ति और राज्य के संबंध और राज्य के कार्यों पर विचार

अरविन्द ने कहा कि व्यक्ति केवल एक सामाजिक इकाई ही नहीं वरन् अपने आप में एक आत्मा और प्राणी है, जिसका अपना अस्तित्व है।

Scanned with CamScanner

अरविन्द ने व्यक्ति को राज्य का दास मानने से इन्कार किया। उन्होंने व्यक्ति को राज्य से पृथक् एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया और कहा कि, "राज्य व्यक्ति पर अपना पूर्ण अधिकार या स्वामित्व जताए, यह सर्वथा अनुचित है।" उन्होंने यह संदेश दिया कि व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक अस्तित्व के नियमों का पालन करना चाहिए और उन्हीं से निर्देश लेने चाहिए। इस संबंध में राज्य का हस्तक्षेप सर्वथा अनुचित है। व्यक्ति के आत्मा के विकास और उसके स्वाभाविक उत्थान के लिए अनिवार्य है कि उसे स्वतंत्रता मिले। अरविन्द राज्य को एक पूर्णता एवं इसे श्रेष्ठ मस्तिष्कों का प्रतिनिधित्व भी नहीं मानते। अरविन्द के अनुसार, राज्य एक नैतिक आवश्यकता है। उन्होंने राज्य की सर्वोच्चता को भी चुनौती दी और उन्होंने कहा कि राज्य को मानव प्रगति का सर्वोत्तम साधन मानना हास्यास्पद है। राज्य की अभिभंजित प्रकृति की धारणा ठुकराने योग्य है। इसके लिए यह उचित है कि राज्य कम-से-कम हस्तक्षेप की नीति अपनाए। राज्य का कार्य केवल बाधाओं को दूर करना तथा अन्याय को रोकना आदि है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि राज्य द्वारा न तो शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए और न ही राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष का पालन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार अरविन्द राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित रखना चाहते थे।

Scanned with CamScanner